The Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) (Amendment) Act, 2002

Act 19 of 2002

Keyword(s):
Election, Affidavit

Amendments appended: 6 of 2003, 12 of 2005, 8 of 2007, 4 of 2008, 4 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–211

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 456/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 19, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2002)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत के गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(i) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

(ii) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(iii) यह तत्काल से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, की धारा 6 का संशोधन

उत्तर प्रदेश नगरनिगम अधिनियम, 1959 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 6 (1)(क) में शब्द "साठ" के स्थान पर शब्द "बीस" तथा शब्द "एक सौ दस" के स्थान पर शब्द "पैंतालिस रख दिया जायेगा ;

3. धारा 7(1) का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 7(1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "सत्ताईस" के स्थान पर शब्द "चौदह" रख दिया जायेगा ;

4. धारा 24 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 24 में निम्नलिखित खण्ड (घ) बढ़ा दिया जायेगा :-
"(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी न हो ;"

5. धारा 25(1) का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 25(1) खण्ड (ट) के बाद निम्नलिखित धारा बढ़ा दिये जायेगें :-

(ठ) "उसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ है ;" या

(ड) "महिला के विरूद्व किसी अपराध का दोष सिद्व ठहराया गया है ;" या

"(ढ) किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है ;"या

"(ण) किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है ;" या

"(त) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है ; " या

"(थ) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है ; " या

"(द) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लघन करने, नगर पालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्व दोषी ठहराया गया हो "

6.धारा 44 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 44 में शब्द "मत गूढ शलाका" के बाद शब्द "अथवा वोटिंग मशीन" रख दिया जायेगा ;

7.धारा 45 में एवं नई उपधारा(3) का बढ़ाया जाना

मूल अधिनियम की धारा 45 में निम्नलिखित उपधारा(3) बढ़ा दी जायेगी :-
"(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनो में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा :-

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामलें में दोषी पाया गया है ? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है ? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामलें में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, व मामलें में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, का विवरण ;
(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना ;
(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण ;
(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण ;
(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित ;
(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण ;
(ज) उसकी आयकर तथा भूमि – भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण । ;
(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण ;

मूल अधिनियम की धारा 177 में :–
(क) उपधारा (ग) के स्थान पर निम्नांकित उपधारा रख दी जायेगी :– 8.धारा 177 का संशोधन
"(ग) भवन जो एक मात्र स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते है, तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में हो "
(ख) उपधारा (ज) निकाल दिये जायेंगे ।

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे । 9. निरसन और अपवाद

आज्ञा से,
(यू० सी० ध्यानी)
अपर सचिव।

No. 456/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002
Dated Dehradun, December 21, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) (Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 19 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

THE UTTARANCHAL (UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ACT, 1959) (AMENDMENT) ACT, 2002

(ACT No. 19 OF 2002)

AN

ACT

To further amend the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959 in it's application in Uttaranchal.

1. Short title, Extent and Commencement.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third year of the Republic of India as follows :-

(i) This Act may be called Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) (Amendment) Act, 2002.

(ii) It extents to the whole of Uttaranchal.

(iii) It shall be deemed to have come into-force at once.

2. Amendment of Sec. 6(1)(a) of the Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959

In section 6(1)(a) of the Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959 (hereinafter reffered to as the "Principal Act") the word "Sixty" shall be substituted by the word "Twenty" and the word "One Hundred Ten" shall be substituted by the word "Forty-five".

3. Amendment of the first proviso of section 7

The first proviso of Section 7 (1) of the Principal Act, the word "Fourteen" shall be substituted for the word "Twenty-seven".

4. Insertion of a new sub-section 24(d)

After section 24 (c) of the Principal Act a new sub-section 24 (d) shall be inserted :-

(d) He is not a candidate from more than one ward.

5. Insertion of a new sub-section 25(1)

After the sub-section (k) of section 25 (1) in the Principal Act, following shall be added :-

(l) He has more than two living children of whom one is born after expiry of 300 days from the date of notification of this part; or,

(m) has been convicted of any offence against a woman ? or,

(n) has an interest or share, in a publication where in advertisement regarding activities of the municipalities can be published ? or,

(o) is a paid employee of any institution, receiving financial aid from the municipalities ? or,

(p) the person or any member of his/her family or his/her legal heir is in unauthorized occupation of any land or building owned or managed by the municipality/ Government or a public road or pavement, canal, drain, or is a beneficiary of such unauthorized occupation ; or,

(q) is a representative or office bearer of any federation or union of any cadre or class of employees of the municipality ; or

(r) has been convicted of any offence involving violation of any Act, Rules, Sub-rules, regulations and Govt. orders relating to Municipality and has been found guilty of working against the interest of the municipality.

In section-44 of the Principal Act the words "or voting Machine" shall be added after the work "secret ballot" 6. Amendment of section-44

In section 45 of the Principal Act, sub-section (3) shall be added : 7.Added of a new sub-section(3) of section 45

(3) State Election Commission shall obtain from all the candidates a declaration in the form of an affidavit containing the following information and any other information it deems necessary and shall, except information contained in clause (c) and (e), publish the same in the major daily newspapers for the information of the electorate.

(a) Whether the candidate has been convicted/acquitted/discharged of any criminal offence in the past and, if convicted, whether he was punished with imprisonment or fine ?

(b) Prior to six months of filing of nomination, whether the candidate is accused in any pending case, of any offence punishable with imprisonment for two years or more, and in which charge is framed or cognizance is taken by the Court of law. If so, the details thereof.

(c) The assets (immovable, movable, bank balances etc.) of a candidate and of his/her spouse and, that of dependants.

(d) Liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public Financial Institutions or Government dues.

(e) His/her source of income and full details of present Monthly/Annual Income.

(f) Whether he/she is married/unmarried.

(g) Number of Children, their ages, and their educational expenses.

(h) Details of his/her income tax; house tax; projections tax/fees payable annually.

(i) The educational qualifications of candidate.

In section-177 of the Principal Act :-

(a) In place of sub-section (a) the following sub-section shall be substituted :- 8. Amendment of Section-177

"(c) Building solely used as school and colleges and owned by Government"

(b) Clause(h) shall be omitted.

Repeal and savings

(1) The Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959)(Amendment) ordinance, 2002 is hereby repealed. Uttaranchal ordinance no.4 of 2002

(2) Not withstanding such repeal, anything done or any action taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act 1959 as amended by the ordinance referred to in sub-section(1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act 1959 as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all Material times.

By Order,

(U. C. DHYANI)
Addl. Secy.

पी०एस०यू० (उ०रा०ई०) 78 विधायी/561–2002–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–087

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0

ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 02 (संशोधन) विधेयक, 03 पर दिनांक 16–04–03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06, सन् 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 06, वर्ष 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये अध्यादेश का प्रतिस्थानी

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मूल अधिनियम की धारा 44 उपधारा (3) में संशोधन

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (3) निम्नवत् संशोधित की जाती है :–

राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन–पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाएं, जैसा आवश्यक समझे, का शपथ–पत्र के साथ घोषणा–पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर सार्वजनिक करायेगा।

उत्तरांचल अध्यादेश सं0 2, सन् 2003 का निरसन

3. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation & Modification Order, 02 (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 06 of 2003) for general information :

No. 178/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ADHINIYAM, 1959) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT No. 06 OF 2003)

AN
ACT

A replacing Bill further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation & Modification Order, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:–

Short title & Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002, (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Sub-section(3) of 45 of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation & Modification Order, 2002

2. Sub-section (3) of Section 44 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Amendment) Act, 2002 (hereinafter reffered to as the "Principal Act") shall be deemed to be amended as follows :--

State Election Commission shall obtain from all candidates a declaration in the form of an affidavit containing the following information and any other information it deems necessary and shall, except information contained in Clause(c) and (e), make public the same for the information of the electorate.

Repeal of Uttaranchal Ordinance no. 2 of 2003

3. (1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Second amendment) Ordinance, 2003 (The Uttaranchal Ordinance no. 02 of 2003) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the corresponding provisions of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) as amended by the Ordinance reffered to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) as ammended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all meterial times.

By Order,

BHAROSI LAL,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 विधायी/137–2003–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–19

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई0

माघ 11, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 423/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 31 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 29 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 12, वर्ष 2005)

[भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित]

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

उत्तरांचल (उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा 15 में संशोधन

2—उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे यहां मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(ख) उपनगर प्रमुख की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्ष और छः माह या सभासद के रूप में शेष कार्यकाल के लिये, जो भी कम हो, होगी।

(ग) खण्ड (ख) के उपबन्ध ऐसे किसी उपनगर प्रमुख पर भी लागू होंगे जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये गये हों।"

मूल अधिनियम की धारा 16 में संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्न रख दिया जायेगा :—

नगर प्रमुख और उपनगर प्रमुख का हटाया जाना

अर्थात :—

"(1) जहां राज्य सरकार का यह विश्वास करने का कारण हो कि—

(क) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख की तरफ से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में कोई चूक हुई है;

(ख) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख ने—

(एक) धारा 11 और 25 में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत कर ली है; या

(दो) धारा 463 के अर्थान्तर्गत निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जान—बूझकर अर्जित किया है; या

(तीन) जान—बूझकर किसी ऐसें मामले में, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित हो, चाहे व धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो या जिसमें किसी मुवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर उसका वृत्तिक रूप में निहित था, या नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद के रूप में जान—बूझकर किसी ऐसे मामले में, कार्य किया है, या

(चार) निगम के प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से नगर निगम के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य किया है या उपस्थित हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से जिसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, कार्य किया है या उपस्थित हुआ है; या

(पांच) नगर निगम के नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान को परित्याग कर दिया है; या

(छः) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अदचार का दोषी रहा है; या

(सात) निगम के चालू या पूर्ववर्ती कार्यकाल में नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में या किसी अवधि के समापति या सभासद के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, चाहे जो भी हो, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है, या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम, विनियम या उपविधि का जान—बूझकर उल्लंघन किया है, या निगम की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि, या क्षति पहुंचायी है जो उसे नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख बने रहने के अयोग्य बना देती है; या

(आठ) किसी अन्य अवचार का दोषी है चाहे ऐसा अवचार उसने नगर प्रमुख के रूप में या उपनगर प्रमुख के रूप में या समासद के रूप में किया हो; या

(नौ) निगम के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(दस) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है या किसी निगम का उस बैठक का कार्य संचालन असंभव हो जाये या ऐसा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया है; या

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जान-बूझकर उल्लंघन किया है; या

(बारह) निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के, दुर्व्यवहार किया है; या

(तेरह) निगम की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया है; या

(चौदह) निगम की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, या किसी अन्य व्यक्ति की अतिक्रमण करने में सहायता की है, या दुष्प्रेरित किया है तो वह उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि क्यों न उसे पद से हटा दिया जाये।

(2) राज्य सरकार, नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, कारणों को अभिलिखित करते हुए नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख को उसके पद से हटा सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख, समासद भी नहीं रह सकेगा और उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।"

मूल अधिनियम की धारा 51 में संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 51 में,—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(2) उपनगर प्रमुख कार्यकारिणी समिति का पदेन उपसभापति होगा।"

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,

आई0 जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 423/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Third Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 12 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 29, 2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ACT, 1959) (ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002) (THIRD AMENDMENT) ACT, 2005

(THE UTTARANCHAL ACT No. 12 OF 2005)

[Enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth Year of the Republic of India]

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

AN

ACT

Short Title

1. This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation & Modification Order, 2002 (Third Amendment) Act, 2005.

Amendment of Section 15 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959)

2. In clause (b) of sub-section (1) of section 15 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (hereinafter referred to as Principal Act) following clauses shall be substituted, namely—

"(b) the term of office of Deputy Mayor shall be for period of two years and six months from the date of his election or the residue of his term as a Corporator, whichever is less.

(c) The provisions of clause (b) shall also apply to a Deputy Mayor, who is declared elected in his last election."

Amendment of Section 16 of the Principal Act

3. In Section 16 of the Principal Act the following shall be substituted namely--

Removal of Mayor and Deputy Mayor

(1) Where the State Government has reason to believe that--

(a) There has been any default on the part of the Mayor or Deputy Mayor in the discharge of his duties;

(b) The Mayor or Deputy Mayor has--

(i) Acquired any disqualification mentioned in section 11 and 25; or

(ii) Intentionally earned any share or interest, whether financial or otherwise, directly or indirectly by him or on his behalf or by any partner in any contract with the Nagar Nigam or any employment in the Nagar Nigam under section 463; or

(iii) As a Mayor or Deputy Mayor or Corporator intentionally worked in any such matter in which he or his partner has directly or indirectly has any share or interest, whether financial or otherwise or had professional interest on behalf of any client, owner or any other person; or

(iv) Against the Nagar Nigam or the State Government attended as a Lawyer and worked on behalf of any individual in any suit or other legal proceedings in connection with any nazul land under the management of the Nagar Nigam, worked or attended any criminal proceeding on behalf of any such person against whom any criminal proceeding has been instituted by him or the Nagar Nigam; or

(v) Has vacated his usual place of residence under municipal area of the Nagar Nigam, or

(vi) Has been guilty of misconduct in discharge of his duties; or

(vii) Has grossly misused his office as Mayor or Deputy Mayor during the current or earlier term of the Nagar Nigam acting as Chairman or Corporator or in any other capacity whatsoever, during any period or intentionally acted in contravention of any provision of this Act, or any rule, regulation or bylaw or caused such damage or loss to the fund or the property of the Nagar Nigam which disqualifies him to continue as Mayor or Deputy Mayor; or

(viii) He is guilty of any other misconduct whether such act has been done as a Mayor or Deputy Mayor or Corporator; or

(ix) Has acted against the interest of the Nagar Nigam; or

(x) Has obstructed any meeting of the Nagar Nigam in such manner that the conduct of the meeting becomes impossible or abetted any one to do so; or

(xi) Has intentionally acted in contravention of any order or direction of the State Government issued under this Act; or

(xii) Misbehaved with the officers or employees of the Nagar Nigam without any valid reason; or

(xiii) Disposed of any property of the Nagar Nigam for a price less than its market value; or

(xiv) Encroached upon any land, building or any other immovable property of the Nagar Nigam or assisted or abetted any other person for such an encroachment.

The State Government any require him to show cause within the period specified in the notice that why he should not be removed from his post.

(2) The State Government after considering the explanation submitted by the Mayor or Deputy Mayor or after such inquiry as may be deemed necessary recording the reasons may remove the Mayor or Deputy Mayor from such post.

(3) Any order issued by the State Government under sub-section (2) shall be final and no objection shall be raised against it in any court of law.

(4) The Mayor or Deputy Mayor removed under sub-section (2) shall not remain even as Corporator and shall not be eligible for re-election a Mayor or Deputy Mayor for a period of 5 years from the date of his removal on any ground under clause (a) and (b) of sub-section (1).

Amendment of Section 51 of the Principal Act

4. In section 51 of the Principal Act :--

(a) The following sub-section shall be substituted for sub-section (2), namely--

"(2) The Deputy Mayor shall be ex-officio Chairman of the Executive Committee."

(b) Sub-section (3) shall be omitted.

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.

क्रम संख्या–241

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 06 दिसम्बर, 2007 ई0

अग्रहायण 15, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1201/XXXVI(4)/2007

देहरादून, 06 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 08, वर्ष 2007)

[भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित]

नगर निगमों के निर्वाचन के प्राविधान से सम्बन्धित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का उत्तराखण्ड के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 6 का संशोधन

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 6 (1) (क) में शब्द "पैंतालिस" के स्थान पर "साठ" रख दिया जायेगा।

निरसन और अपवाद

3. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यह समझा जायेगा कि उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन जो कार्य किया गया है या कार्यवाही की गयी है, वह इस अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गयी है, मानो यह अधिनियम 12 सितम्बर, 2007 को प्रवृत्त हो गया था।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 08 of 2007).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 03, 2007.

No. 1201/XXXVI(4)/2007
Dated Dehradun, December 06, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ADHINIYAM, 1959) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT No. 08 OF 2007)

[Be enacted in the 58th Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislature as follows]

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

AN

ACT

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2007. — Short Title and Commencement

(2) It shall come into force at once.

2. In section 6(1) (a) of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002, the words "fortyfive" shall be substituted by the word "sixty". — Amendment of Section 6 of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

3. (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Ordinance, 2007 is here by repealed. — Repeal and Savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on September 12, 2007.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 71 विधायी/636—2007—100-400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–241

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 06 दिसम्बर, 2007 ई0

अग्रहायण 15, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1201/XXXVI(4)/2007

देहरादून, 06 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 03 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 08, वर्ष 2007)

[भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित]

नगर निगमों के निर्वाचन के प्राविधान से सम्बन्धित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का उत्तराखण्ड के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 6 का संशोधन

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 6 (1) (क) में शब्द "पैंतालिस" के स्थान पर "साठ" रख दिया जायेगा।

निरसन और अपवाद

3. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यह समझा जायेगा कि उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन जो कार्य किया गया है या कार्यवाही की गयी है, वह इस अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गयी है, मानो यह अधिनियम 12 सितम्बर, 2007 को प्रवृत्त हो गया था।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 08 of 2007).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 03, 2007.

No. 1201/XXXVI(4)/2007
Dated Dehradun, December 06, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ADHINIYAM, 1959) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT No. 08 OF 2007)

[Be enacted in the 58th Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislature as follows]

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

AN

ACT

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2007. — Short Title and Commencement

(2) It shall come into force at once.

2. In section 6(1) (a) of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002, the words "fortyfive" shall be substituted by the word "sixty". — Amendment of Section 6 of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002

3. (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Ordinance, 2007 is here by repealed. — Repeal and Savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on September 12, 2007.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 71 विधायी/636—2007—100-400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–48(ङ)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 20 मार्च, 2008 ई0
फाल्गुन 30, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1303/XXXVI(4)/2008
देहरादून, 20 मार्च, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 19 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2008 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)
(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं
उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का उत्तराखण्ड राज्य के लिये अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 8 में एक नई उपधारा 4 का अन्तःस्थापन

2–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के अन्त में निम्नलिखित एक नई उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(4) जहां नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, या नये नगर निगम बोर्ड का गठन नहीं हुआ हो, तो नये बोर्ड के गठन तक–

(क) नगर निगम, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, वार्ड समिति, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की समस्त शक्तियां, कार्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी (एतद्पश्चात् प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होंगी और उसके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन की जायेगी और प्रशासक, विधि की दृष्टि में, नगर निगम अथवा समिति, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगर निगम कोष से देय होगा, जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियत करे;

(ग) राज्य सरकार, समय–समय पर, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध शामिल हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डालें, जो उसे इस धारा के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा ईष्टकर हो, बना सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छः मास या नये बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।"

मूल अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (घ) का निरसन

3–मूल अधिनियम की धारा 24 का खण्ड (घ) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 25 में नए खण्ड का अन्तःस्थापन

4–मूल अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (द) के पश्चात् एक नया खण्ड निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

"(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी हो,"

मूल अधिनियम की धारा 30 का निरसन

5–मूल अधिनियम की धारा 30 एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

'नगरपालिका' के स्थान पर 'नगर निगम' पढ़ा जाना

6–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं0 19, वर्ष 2002) में जहां–जहां शब्द "नगर पालिका" आया है, वहां वह शब्द "नगर निगम" पढ़ा जायेगा।

निरसन और अपवाद

7–(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 04 of 2008).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 19th March, 2008.

No. 1303/XXXVI(4)/2008
Dated Dehradun, March 20, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ADHINIYAM, 1959) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2007 (AMENDMENT) ACT, 2008

(UTTARAKHAND ACT NO. 04 OF 2008)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 for the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislaire Assembly in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows :–

Short Title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall come into force at once.

Insertion of new sub-section (4) in section 8

2. In the end of section 8 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007, hereinafter referred to as Principal Act, a new sub-section shall be inserted, namely:–

"(4) Where the term of a Nagar Nigam has expired or a new Nagar Nigam Board has not been constituted, then until the due constittuion of the new Board–

(a) all powers, functions and duties of the Nagar Nigam, its Mayor, Deputy Mayor, Ward Committee, Executive committee, Development committee and Other Committees, constituted under sub-section (e) of section 5, shall be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer appointed in this behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator) and he/she shall be deemed in law to be the Administrator, Nagar Nigam, or the Committees, as the occasion may require;

(b) such salary and allowances of the Administrator, as the State Government may, by general or special order in that behalf, fix, shall be paid out of Nagar Nigam Fund;

(c) the State Government may, from time to time by Notification in the Gazette, make such incidental or consequential provisions, which include provisions for adapting, altering or modifying any provision of this Act, without affecting the substance, as may appear to it to be necessary or expedient for carrying out the purpose of this section :

Provided that the term of Administrator, appointed under this section shall not exceed six months or till the constitution of new Nagar Nigam Board, whichever is earlier."

Repeal of clause (d) of section 24 of the Principal Act

3. Clause (d) of section 24 of the Principal Act is hereby repealed.

Inserting of a new clause in section 25

4. A new clause shall be inserted after clause (r) of sub-section (1) of section 25 of the Principal Act, namely:--

"(s) is a candidate from more than one ward;"

Repeal of section 30 of the Principal Act

5. Section 30 of the Principal Act is hereby repealed.

"Nagar Nigam" to be read instead of "Nagar Palika"

6. In the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Amendment) Act, 2002 (Act No. 19 of 2002), wherever the Word "Nagar Palika" occurs, it shall be read as "Nagar Nigam".

Repeal and savings

7. (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Adhiniyam, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 (Amendment) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Principal Act as mentioned by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done/or taken under the corresponding provisions of the Principal Act as amended by this Act as if All the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 12 विधायी/271–2008–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–36

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 03 अप्रैल, 2023 ई0

चैत्र 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 130 / XXXVI (3) / 2023 / 65(1) / 2022

देहरादून, 03 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 04 वर्ष, 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959) (संशोधन) अधिनियम, 2022 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 142 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 142 में:– (क) उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:– (1) शहरी स्थानीय निकाय प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के माध्यम से खाते जिसमें वित्तीय विवरण जैसे– तुलन–पत्र, आय एवं व्यय विवरण; नकदी प्रवाह विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान खाता सम्मिलित है, को प्रत्येक तिमाही के अन्त में ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसी रीति, जैसा विहित किया जाये, में तैयार करेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा। (ख) उपधारा (2) में "व्यय" शब्द के स्थान पर " भुगतान" शब्द रखा जायेगा। (ग) उपधारा (3) के पश्चात उपधारा (4) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात– "(4) राज्य सरकार निगम निधि के अन्तर्गत वार्षिक खातों की सम्परीक्षा कराये जाने हेतु निर्धारित प्रकिया से सम्परीक्षक की नियुक्ति करेगी।"

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 145 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 145 में– (क) उपधारा (1) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– (1) नगर आयुक्त प्रतिवर्ष पहली अप्रैल के बाद यथाशक्य शीघ्र पूर्वगामी, वित्तीय वर्ष (Financial year) में नगर के निगम प्रशासन का एक विस्तृत प्रतिवेदन (report) और साथ ही तुलनपत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियां एवं भुगतान खाता को तैयार करेगा और उसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा। (ख) उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (4) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्– "(4) राज्य सरकार नगर निकायों के वित्तीय प्रकरणों और इससे सम्बन्धित समस्त प्रकियाओं के निर्धारण हेतु एक मैनुअल, जिसे उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउण्ट मैनुअल कहा जायेगा, को निर्धारित, अद्यतन एवं बनाये रखेगी।"
धारा 146 का संशोधन	4.	मूल अधिनियम की धारा 146 की उपधारा(1) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– (1) नगर आयुक्त ऋणी (indebted) निगमों की दशा में प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को या उसके पूर्व तथा अन्य निगमों की दशा में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को या उसके पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निगमों का वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा उसे (बजट को) कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें विभिन्न प्राप्तियां एवं भुगतान शीर्षक में प्रारम्भिक एवं अन्तिम अवशेष के अन्तर्गत अनुमानित आय, व्यय, आधिक्य/घाटे को चार व्यापक शीर्षक यथा राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति एवं पूंजीगत व्यय को ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से स्पष्टतः प्रदर्शित किया जायेगा, जैसा विहित किया जाये, जो कार्यकारिणी समिति आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कर सकती है।
नई धारा 573 क का अंतःस्थापन सूचना का लोक प्रकटीकरण	5.	मूल अधिनियम की धारा 573 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:– "573–क.(1) नगर निगम त्रैमासिक अन्तरालों पर नीचे उल्लिखित अपेक्षित सूचना को प्रकट करने हेतु अपने अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगी और प्रकाशित करेगा;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
वित्त शाखा, देहरादून
उत्तराखण्ड

(क) निगम या उसकी समितियों की कार्यवाहियाँ या कार्यवाहियों का सार;

(ख) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(ग) ऐसे अधिकारियों की विशिष्टियाँ जो निगम के विभिन्न विभागों में रियायत, अनुज्ञा (परमिट), अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) प्रदान करते हैं, या नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराते हैं;

(घ) तुलनपत्र, प्राप्तियों एवं व्ययों और वार्षिक बजट आदि का संपरीक्षित वित्तीय विवरण;

(ड़) निगम द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिए उपबन्धित किये गये सेवा स्तर;

(च) समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय, प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर वास्तविक व्यय तथा किये गये व्यय का संवितरण पर आख्या;

(छ) निगम द्वारा प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर सहायिकी (Subsidy) कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों हेतु हिताधिकारियों की पहचान की रीति एवं मानदण्डों का विवरण;

(ज) निगम द्वारा किये गये कार्यक्रमों का विवरण;

(झ) निगम के विकास से सम्बन्धित नगर विकास योजनाओं पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का विवरण;

(ञ) मुख्य निर्माण कार्य, निर्माण कार्य का मूल्य, समापन का समय का विवरण और संविदा का ब्यौरा;

(ट) निगम निधियों का विवरण:–

(i)कर एवं करेत्तर शीर्षकों के अधीन पूर्व वर्ष में जनित एवं वसूल की गयी आय;

(ii) कर, शुल्क, सेस और अधिभार, किराया, सम्पत्ति से शुल्क, परमिट और लाईसेंस तथा प्रयोक्ता प्रभार;

(iii) उपर्युक्त (ii) के सापेक्ष धनराशि, जो असंगृहीत हो;

(iv) विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार से अनुदान, ऋण या निधियों का न्यागमन और उपभोग की स्थिति;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(ठ) ऐसी अन्य सूचना जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय; (2) प्रकटीकरण की रीति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं; (क) समाचारपत्र; (ख) इन्टरनेट; (ग) निगम का सूचनापट्ट; (घ) आंचलिक कार्यालय; (ड.) किसी बुलेटिन का जारी किया जाना; (च) गजट में अधिसूचना, (छ) ऐसी कोई अन्य रीति, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।"

आज्ञा से,
शमशेर अली,
अपर सचिव।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के लेखों में एकरूपता लाये जाने हेतु एकाउण्टिंग मैनुअल प्रख्यापित किया गया है, तद्नुसार राज्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्य द्वारा अपना एकाउण्टिंग मैनुअल तैयार किया जाना है। उक्त एकाउण्टिंग मैनुअल को राज्य के नगर निगमों में लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में कतिपय धाराओं का संशोधन/अन्तःस्थापन किया जाना अपरिहार्य है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

No. 130/XXXVI(3)/2023/65(1)/2022
Dated Dehradun, April 03, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Act, 2022' (Act No. 04 of 2023).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 31 March, 2023.

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Act, 2022

(Uttarakhand Act No. 04 of 2023)

An

Act

further to amend the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,1959) Adaptation and Modification Order, 2002 in the context of the State of Uttarakhand,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-Third Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Act, 2022. (2) It shall come into force at once.
Amendment of section 142	2.	In section 142 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (hereinafter referred to as the principal Act),- (a) sub section (1) shall be substituted as follows, namely: - "(1) The Urban Local Body shall prepare and maintain accounts by way of Accrual Based Double Entry Accounting System which includes the financial statement like the Balance Sheet, Income and Expenditure Statement, Statement of Cash flows and Receipts and Payment Account, at the end of each quarter , in such form, and in such manner, as may be prescribed."

प्रमाणित प्रति
सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(b) In sub section (2) for the word "expenditure", the word "payments" shall be substituted. (c) after sub section (3), the following sub section shall be inserted, namely:- "(4) The State Government shall appoint auditors to audit the annual accounts of the municipal fund in the manner prescribed."
Amendment of Section 145.	3.	In section 145 of the principal Act, (a) for sub section (1), the following sub section shall be substituted, namely: - "(1) The Municipal Commissioner shall, as soon as may be after the first day of April in each year, shall prepare a detailed report of the Corporation administration of the City, during the previous Financial year, together with balance sheet, income and expenditure, account and receipts & payment account and shall submit the same to the Executive Committee." (b) after sub section (3), the following sub section shall be inserted, namely:- "(4) The State Government shall prescribe, update and maintain a manual to be called the Uttarakhand Municipal Accounting Manual containing details, of all financial matters and procedures relating thereto in respect of Municipal bodies."
Amendment of section 146.	4.	For sub section (1) of section 146 of the principal Act, the following sub section shall be substituted , namely: - "(1) The Municipal Commissioner shall on or before the tenth day of December each year in the case of indebted Corporation and tenth day of January each year in the case of other Corporations cause to be prepare and laid before the Executive Committee an annual Budget which shall reflect the estimated income, expenditure, surplus/deficit under the various Receipts and payment heads, opening and closing balances duly classified under four broad heads Revenue Receipts, Revenue Expenditure, Capital Receipts and Capital Expenditure and in such form as may be prescribed and in such manner as the Executive Committee may approve budget estimates of the Corporation Fund for the next financial year."

माणित प्रति
क सूचना अधिकारी
धान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Insertion of new section 573-A Public disclosure of information	5.	After section 573 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:- 573-A (1) The Municipal corporation shall maintain and publish its records to disclose the required information of quarterly intervals as mentioned below: (a) proceedings or substance of proceedings of the Corporation or its Committees; (b) a directory of its officers and employees; (c) the particulars of officers, who grant concessions, permits licenses or provide civic amenities in various departments of the Corporation; (d) audited financial statements of balance sheet, income and expenditures, annual budget, etc; (e) the service levels for each of the services being undertaken by the corporation; (f) particulars of all plans, proposed expenditure, actual expenditure on major services provided or activities performed and reports on disbursements made; (g) details of subsidy programmes on major services provided or activities performed by the Corporation, and manner and criteria of identification of beneficiaries for such programmes; (h) details of programmes undertaken by the Corporation; (i) particulars on Detailed Project Report of City Development Plans relating to development of the Corporation; (j) the particulars of major construction works, values of constructions works, time of completion and details of contract; (k) the details of corporation funds; (i) income generated and realized in the previous year under tax and non-tax heads; (ii) taxes, duties, cess and surcharge, rent, fee from property permit and license and user charges; (iii) amount against (ii) above, that remain uncollected; (iv) grants, loans, or devolution of funds from State Government for various purposes and the position of utilization. (l) such other information as may be prescribed by the State Government.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(2) Manner of disclosure shall include:- (a) Newspapers; (b) Internet; (c) Notice Boards of Corporation; (d) Zonal offices; (e) Issue of Bulletin; (f) Notification in Gazette; (g) Any other manner as may be prescribed by the State Government."

By Order,

SHAMSHER ALI,
Additional Secretary.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of Objects and reasons

Accounting mannual, to bring uniformity in the Accounts of Local bodies has been promulgated by the Government of India, accordingly the State has to prepare its own Accounting Mannual keeping in view the needs of State. To implement said Accounting Manual in the Municipal Corporation of the state it is inevitable to amend/insert certain section in the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Adaptation and Modification Order, 2002).

2- Purposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Prem chand Aggarwal
Minister

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

पी०एस०यू० (आर०ई०) 05 विधायी/170–2023–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।